

गोबर धन योजना

- पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने GOBAR (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज) - DHAN योजना शुरू की है। इस योजना को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में स्वच्छ गाँव बनाने के लिए दो मुख्य घटक शामिल हैं - खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) गाँव बनाना और गाँवों में ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करना। 3.5 लाख से अधिक गाँवों के साथ, 374 जिलों और देश के 16 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को ओडीएफ घोषित किया गया है, यह चरण ओडीएफ-प्लस गतिविधियों के लिए निर्धारित है, जिसमें ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसएलडब्ल्यूएम) बढ़ाने के उपाय भी शामिल हैं। GOBAR-DHAN योजना, गाँवों को स्वच्छ रखने, ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने और पशु कचरे से ऊर्जा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ इस ओडीएफ-प्लस रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

लक्ष्य

योजना का उद्देश्य गाँव की स्वच्छता को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना और मवेशियों और जैविक कचरे से धन और ऊर्जा उत्पन्न करना है। इस योजना का उद्देश्य नए ग्रामीण आजीविका के अवसर पैदा करना और किसानों और अन्य ग्रामीण लोगों के लिए आय बढ़ाना है।

कार्यान्वयन

- गोबर-धन 2018-19 में 700 जिलों को कवर करेगा। इस योजना को पायलट आधार पर 350 जिलों में लागू किया जाएगा। शेष जिलों को वित्त वर्ष 2018-19 की दूसरी छमाही में कवर किया जाएगा।
- कार्यक्रम को एसबीएम-जी दिशानिर्देशों के एसएलडब्ल्यूएम फंडिंग पैटर्न का उपयोग करके लागू किया जाएगा। एसएलडब्ल्यूएम परियोजनाओं के लिए

एसबीएम (जी) के तहत कुल सहायता, प्रत्येक जीपी में कुल घरों की संख्या के आधार पर काम की जाती है, 150 जीपी तक के जीपी के लिए अधिकतम 7 लाख रुपये के अधीन, 300 से 12 लाख रुपये तक। परिवारों, रु। 500 घरों तक 15 लाख और 500 से अधिक घरों वाले GP के लिए 20 लाख रु। एसबीएम (जी) के तहत एसएलडब्ल्यूएम परियोजना के लिए धन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में विद्यमान फार्मूले के अनुसार प्रदान किया जाता रहेगा।

- केवल उन ग्राम पंचायतों ने, जिन्होंने एसबीएम (जी) के तहत एसएलडब्ल्यूएम फंड का लाभ नहीं लिया है, वे दिशा-निर्देशों की सीमा के अधीन, गोबर-धन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। हालाँकि, राज्यों के पास योजना के तहत व्यवहार्यता के आधार पर किसी भी जीपी को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करने का लचीलापन होगा।

आगे की पूछताछ के लिए

[“https://sbm.gov.in/Gobardhan/SLRM_AboutUs.aspx”](https://sbm.gov.in/Gobardhan/SLRM_AboutUs.aspx)